

आदेश संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शास्त्र वाड सं. 102/2014	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
18/12/2014	<p style="text-align: center;"> सारण समाहरणालय, छपरा। न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा ज्योति भूषण सिंह, पिता-जवाहर प्रसाद सिंह, सा0-मीना बाजार, थाना-सोनपुर, जिला-सारण </p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p> प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3941/गो0 दिनांक 13.12.12 के द्वारा प्रेषित आवेदक ज्योति भूषण सिंह, पिता-जवाहर प्रसाद सिंह, सा0-मीना बाजार, थाना-सोनपुर, जिला-सारण के द्वारा एक रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। </p> <p> आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस थानाध्यक्ष, सोनपुर थाना के ज्ञापांक डी.आर. 171 दिनांक 15.2.12, एवं डी.आर. 1496 दिनांक 11.12.12 पुलिस निरीक्षक, सोनपुर के ज्ञापांक 638 दिनांक 23.3.12, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 545 दिनांक 24.3.12, अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 625 दिनांक 20.7.12 तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1759 दिनांक 4.11.12 के द्वारा निर्गत प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5445/गो0 दिनांक 9.12.14 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है। </p> <p> दिनांक 11.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। </p> <p> आवेदक के द्वारा बताया गया कि उन्हें अपने कारोबार के सिलसिले में देर रात्रि तक पैसा लेकर आना-जाना पड़ता है, जिससे उनके जानमाल पर खतरे की आशंका है। इनके पिता श्री जवाह प्रसाद सिंह के नाम से एक एन.पी. बोर. रिवाल्वर है, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0 5792 है, जो मालदा (पश्चिम बंगाल) से निर्गत है। पिता के मृत्युपरान्त उक्त रिवाल्वर को कैप्टल गन हाउस, पटना में जमा किया गया है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए उक्त शस्त्र की </p>	

(Handwritten signature)




अनुज्ञप्ति अपने नाम से स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया।


अभिलेख में रक्षित पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं था। इसलिए पुलिस अधीक्षक, सारण से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके प्रसंग में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5584 दिनांक 18.12.14 के द्वारा विहित प्रपत्र में खतरे की आशंका से संबंधित प्रतिवेदन अंकित है। इसके अनुसार आवेदक को अपने कारोबार के सिलसिले में देर रात्रि तक पैसा लेकर आना-जाना पड़ता है, जिससे उसके जानमाल पर खतरे की आशंका है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया है।

आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2-ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक ज्योति भूषण सिंह, पिता-जवाहर प्रसाद सिंह, सा0-मीना बाजार, थाना-सोनपुर, जिला-सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ उनके पिता के द्वारा धारित एन.पी.बोर रिवॉल्वर सं0 ए-6885 को आवेदक के नाम से हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदक के पिता के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति सं0 5792 जिला-मालदा, राज्य- पश्चिम बंगाल को रद्द करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ इस आदेश की प्रति प्रेषित करने हेतु जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सारण संचिका उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित


जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।


जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 13/न्या० दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, सारण/जिला शस्त्र इकाई,
सारण/ DSO, N.P.C. सारण के सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ



वर्षा उप सहायता
जिला विधि शाखा
05/01/15 सारण, छपरा।